न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—45/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00045)

1. मल्ला पुत्र अजमाल, जाति मेहरात, निवासी ग्राम माण्डावास, नया नगर तहसील बयावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. छोटू पुत्र अजमाल
2. कोयली पुत्री अजमाल
3. रमजान पुत्र कम्मा
4. मोहन पुत्र कम्मा **(फौत)**
   4/1 सहीदा पत्नि श्री मोहन
   4/2 सुलेमान पुत्र श्री मोहन
   4/3 अनवर पुत्र श्री मोहन
   4/4 शहनाज पुत्री श्री मोहन
   4/5 मीना पुत्री श्री मोहन
   समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम माण्डावास, नया नगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर।
6. उप—पंजीयक अधिकारी, ब्यावर, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 राजस्व वाद संख्या 27/2014.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सलमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4/5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—23.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर 4 तनकीयात कायम की तथा मौखिक साक्ष्य ली तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.1.2015 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर

दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छोटू द्वारा अपने बयानों में स्वीकार किया है कि यह साधू, सन्यासी है तथा पिछले 37 साल से साधू का ही कार्य करता है तथा भगवान की सेवा पूजा करता है तथा पिछले 37 वर्षों से काश्त नहीं की है और यह भी माना कि उसके पिताजी के हिस्से में उसके भाई व बहन हिस्सेदार हैं तथा उसके काका की जमीन पर वह हिस्सेदार है उसके काका के हिस्से की लिखापढी हो रखी थी किन्तु उसने उसे जला दिया अर्थात वादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अब उसका उसके पिता की आराजी में उसका कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता। वादी के स्वयं के एडमिशन के पश्चात् किसी भी रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बयान के आधार पर किसी भी तनकी पर कोई विवेचन नहीं किया केवल मात्र वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष को वादी को प्रदान कर दिया गया तथा यह कह दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था तो उसे अपने वाद को साबित करना चाहिए था जो कि उसके द्वारा स्वयं के बयानों में यह माना कि वह काश्त नहीं करता तथा साधू सन्यासी का कार्य करता है तथा विगत 37 वर्षों से आज दिनांक तक काश्त नहीं करता एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजीयात में 80 हजार रूपये लगाकर आराजीयात को काश्त हेतु उपयोगी बनाया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पुत्र होने का हक भी त्याग चुका है क्योंकि उसने स्वयं द्वारा अपनी माता की कमर तोडकर एवं पिता की आंख फोडकर घर का त्याग कर चुका है इसलिए उसका अब आराजीयात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वाद को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का विवादित आराजीयात में हक व अधिकार निहित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक इकरारनामा की प्रति दिनांक 29.12.1986 प्रस्तुत की। उपरोक्त इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 के काका लाला पुत्र अहमद मेहरात द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया था जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नहीं लेकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है अतः पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि ग्राम माण्डावास पटवार क्षेत्र देलवाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित भूमियां जो जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 117 कुल किता 2 कुल रकबा 01–16–00 तथा खाता संख्या 118 कुल किता 13 कुल रकबा 16–19–00 स्थित है। उक्त संपूर्ण आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजीयात चली आ रही है जिसके कि खातेदार काश्तकार पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री अजमाल थे। श्री अजमाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनका विरासती दाखिल

खारिज वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता श्रीमती सुबानी के नाम खोला गया। श्रीमती सुबानी का स्वर्गवास भी हो चुका है जिनका विरासती दाखिल खारिज भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जा चुका है। उक्त संयुक्त आराजीयात का आज दिवस तक कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से आए दिन पक्षकारान में विवाद होते रहते है। इस कारण वादी अब उक्त आराजीयात को संयुक्त नहीं रखना चाहता है तथा बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। वादी समय समय पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने हेतु निवेदन करता चला आ रहा है किंतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हमेशा ही वादी को टालते चले आ रहे है। दिनांक 24.4.2014 को भी आराजीयात का बंटवारा करवाकर वादी हिस्सा अलग कर देने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को निवेदन किया परंतु संतोषजनक जवाब नहीं देकर टाल दिया, इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के अनुसार प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 18.01.2015 को वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किए गए कि रेस्पोडेंट संख्या 1 पिछले 37 साल से साधू का ही कार्य कर रहा है व भगवान की पूजा करता है तथा विगत 37 वर्षों से आज दिनांक तक काश्त नहीं करता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को गलत रूप से स्वीकार करने में त्रुटि कारित की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2069–2072 का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जिसके खाता संख्या 117 कुल किता 2 कुल रकबा 01–16–00 में से 1/2 हिस्से अपीलांट व 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इस आधार पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का उक्त आराजीयात बाबत प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा अर्थात कुल रकबा 01–16–00 में से 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलबध प्रदर्श–1 के खाता संख्या 118 कुल किता 13 कुल रकबा 16–19–00 की संपूर्ण आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है। प्रत्येक का उक्त आराजीयात में 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा के समक्ष किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। चूंकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जो कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का उक्त आराजीयात में बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित है व राजस्व रिकार्ड में खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। इस आधार पर उक्त आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना विधिसम्मत है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से उठाए गए उज्र का उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है। चूंकि उक्त वाद बंटवारे से संबधित वाद है जिसका अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया

गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर